कार्यालय प्राचार्य इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर म.प्र.

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

क्रमांक / इग / अलिपि. / 2024 / / सागर, दिनांक / / 2024

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय
बाणगंगा भोपाल म0प्र0

विषय निःशक्तजनों की भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन के प्रकाशन बावत्।
संदर्भ इस संस्था का पत्र क्रमांक / इग / अलिपि. / 2024 / 1708 / सागर, दिनांक 25 / 07 / 2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु आपकी ओर भेजी गयी थी। विज्ञाप्ति संशोधित कर संस्था में निःशक्तजनों की नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञप्ति प्रदेश के एक लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में तथा रोजगार निर्माण समाचार पत्र में (प्रादेशिक संस्करण तथा सागर संस्करण में) एक बार प्रकाशित कराने हेतु विज्ञप्ति की छः प्रतियां संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृप्या सूचना प्रकाशन प्राथमिकता के आधार पर कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

Sd

प्राचार्य / सदस्य सचिव
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म.प्र.

पृ.क्रमांक / इग / अलिपि. / 2024 / 1870 / सागर, दिनांक 12 / 8 / 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, साागर संभाग सागर म.प्र. को इस निवेदन के साथ कि संलग्न संशोधित विज्ञप्ति संभागीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करानें का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी (वेवसॉइट) को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधित विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप साइट पर अपलोड करें।
3. लेखापाल, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर म.प्र.।

प्राचार्य / सदस्य सचिव
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म.प्र.

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर म.प्र.

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान

संशोधित साक्षात्कार की तिथि 04/09/2024

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25/08/2024

//संशोधित विज्ञप्ति//

क्रमांक/इम/अलिपि./2024/ / सागर, दिनांक / /2024

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04/01/2024 एव आयुक्त तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/स्था./3/डी/2024/741/ भोपाल दिनांक 10/06/2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर में तृतीय श्रेणी अलिपिकीय निःशक्तजनों के रिक्त पदों हेतु दिनांक **04/09/2024** को संस्था में उपस्थित उम्मीदवारों की भर्ती **12:00 से 05:00** बजे (उम्मीदवारों की संख्या अधिक होन पर साक्षात्कार का समय बढ़ाया जा सकेगा) के मध्य वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। नियत तिथि एवं समय के वाद उपस्थित उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक **25/08/2024** अपरांह **05:30** बजे तक स्वीकार किये जावेंगें। डाक से हुये विलंव के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। पदों का विवरण, वेतनमान, रिक्तियों की संख्या शैक्षणिक योग्यता/अर्हतायें निम्नानुसार हैं:–

क्रं.	पद का नाम एवं ट्रेड	वेतनमान	कुल रिक्त पद	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
1	डिमांस्ट्रेटर (लोकोमोटर डिसेविलिटी/सेरेब्रलपाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मसकुलर डिस्ट्राफी)	28700-91300 7th pay metric level 07 समय–समय पर नियमानुसार देय अन्य भत्ते	01	इलेक्ट्रानिक्स/दूरसंचार टेलीकम्युनीकेशन्स) रेडियो इंजीनियरिंग में किसी मान्याप्राप्त विश्वविद्यालय/मण्डल (बोर्ड) से कम से कम प्रथम श्रेणी में पत्रोपाधि या तीन वर्षीय समकक्ष पत्रोपाधि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ऐजुकेशन (AICTE) द्वारा मान्य होना आवश्यक है। तथा 03 वर्ष का अनुभव
2	कर्मशाला निर्देशक (आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता)	25300-80500 7th pay metric level 06 समय–समय पर नियमानुसार देय अन्य भत्ते	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल से इंजीनियरिंग की इनफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी/कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि अथवा 10वीं कक्षा (हाई स्कूल) उत्तीर्ण के साथ में आई.टी.आई से संबंधित व्यवसाय इनफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी में (N.S.Q.F.) में एन.सी.वी.टी का प्रमाण–पत्र तथा 05 वर्ष का इनफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी (N.S.Q.F.) में (ट्रेड) में कार्यानुभव।

नोटः सरल क्रमांक 01 एवं 02 के तृतीय श्रेणी के पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू (साक्षात्कार) निर्धारित तिथि 04/09/2024 एवं समय 12:00 बजे से 05:00 बजे तक सुनिश्चित है। उक्त पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर म.प्र. में लिया जावेगा।

विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होकर बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण वताये समाप्त की जा सकती है।
2. निःशक्तजन की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
3. आवेदक की आयु दिनांक 01/01/2024 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03/11/2012 के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जावेगा। आयु के प्रमाण हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मंडल की अंकसूची जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
4. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

5. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

6. आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निःशक्तता संबंधी सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. अभ्यर्थी को आवेदित पद पर कार्य करने में सक्षम होने का उपयोगिता प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) श्रम मंत्रालय विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

9. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये शासन द्वारा नियत की गई आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
(ब) जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो जिनमे से एक का जन्म दिनांक 26/01/2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

12. आवेदन पत्र के ऊपर स्वयं का फोटो एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को किसी भी राजपत्रित अधिकारी से अथवा स्वयं अभिप्रमाणित कर लगाया जाये। (प्रमाणित प्रमाणपत्रो की छायाप्रतियों का एक सेट एवं मूल दस्तावेज साथ में लायें।

13. आवेदकों के चयन के संबंध में अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन की प्रत्याशा में अंतिम निर्णय प्राचार्य/सचिव का ही मान्य होगा।

14. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत आर्हकारी योग्यता के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों, साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जावेगा। अधिक अनुभव को प्राथमिकता/वरीयता दी जायेगी।

15. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परीवीक्षा पर प्रथम वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगा।परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

16. निर्धारित योग्यता से कम योग्यता निर्धारित मापदंण्डों की शर्ते पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नही दी जावेगी।

17. वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30/06/2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुये निःशक्तजनों को निःशक्तजन श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत विशेष पिछड़ी जाति, सहरिया बैगा, भारिया, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक के आवेदको को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

18. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पदों के लिये वॉक–इन–इंटरव्यू में उपस्थित होता है तो उसे ऐसे पद के लिये पृथक–पृथक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ उपस्थित होना होगा।

19. वॉक–इन–इंटरव्यू की तिथि के समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करनी होगीं। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति भी साथ में लेकर आवें।

20. आवेदन पत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति तथा संलग्न प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्र मान्य नही होगा।

21. वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु उपरोक्त वर्णित तिथि व समय पर निर्धारित आवेदन एवं सहपत्रों तथा मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय, प्राचार्य इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय बहेरिया सागर पर उपस्थित रहें इस हेतु कोई सूचना पृथक से नही दी जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा कारण मान्य नही किया जावेगा।

22. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल वोर्ड से कराया जावेगा। जॉच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पायी जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।

23. चयनित उम्मीदवारो को शासी निकाय के नियम, राजपत्र असाधारण दिनांक 21 अक्टूबर 2015 (अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम) शर्तो एवं निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर शासी निकाय में नियुक्ति देय होगी। शासी निकाय में नियुक्त

कर्मचारी का शासकीय कर्मचारी के समान कोई भी दावा मान्य नही होगा। चयनोपरांत नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्राचार्य, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर/सोसायटी के पास सुरक्षित रहेंगें।

24.आवेदन पत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय वेवसाइट **www.igecsagar.ac.in** पर भी उपलब्ध है।

प्राचार्य/सदस्य सचिव
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म.प्र.